

राजस्थान राज-पत्र विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

आश्विन 1, बुधवार, शाके 1942- सितम्बर 23, 2020 Asvina 1, Wednesday, Saka 1942- September 23, 2020

भाग-4(क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT (GROUP-II)

NOTIFICATION

Jaipur, September 23, 2020

No. F. 2(20)Vidhi/2/2020.- The following Act of the Rajasthan State Legislature which received the assent of the Governor on the 22nd day of September, 2020 is hereby published for general information:-

THE RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY (OFFICERS AND MEMBERS EMOLUMENTS AND PENSION) (AMENDMENT) ACT, 2020

(Act No. 25 of 2020)

(Received the assent of the Governor on the 22nd day of September, 2020)

An

Act

further to amend the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) Act, 1956.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-first Year of the Republic of India, as follows:-

- **1. Short title and commencement.-** (1) This Act may be called the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) (Amendment) Act, 2020.
 - (2) It shall come into force at once.
- **2.** Amendment of section 4-C, Rajasthan Act No. 6 of 1957.- In sub-section (1) of section 4-C of the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) Act, 1956 (Act No. 6 of 1957), hereinafter in this Act referred to as the principal Act,-
 - (i) for the existing expression "1st April, 2017", the expression "1st April, 2019" shall be substituted;
 - (ii) for the existing expression "a family pension equal to rupees twelve thousand five hundred or equal to fifty percent of the last drawn pension by such member, whichever is higher:", the expression "a family pension equal to

rupees seventeen thousand five hundred or equal to fifty percent of the last drawn pension by such member, whichever is higher:" shall be substituted; and

- (iii) in proviso,-
 - (a) the existing word "and", appearing at the end of clause (ii), shall be deleted; and
 - (b) for the existing punctuation mark "." appearing at the end of clause (iii), the expression "; and" shall be substituted and after the clause (iii) so amended, the following new clause shall be added, namely:-
 - "(iv) the spouse of a deceased Ex-member shall be paid the whole amount of any arrear of the family pension and where the spouse of a deceased Ex-member is not alive, the amount of arrear of such pension shall be paid in equal shares to the members of the family of deceased Ex-member.

Explanation.— The expression 'family' means the sons and unmarried daughters and such parents of the deceased Ex-Member as were wholly or mainly dependent on him or her at the time of his or her death.".

- **3.** Amendment of section **5,** Rajasthan Act No. 6 of 1957.- In sub-section (2) of section 5 of the principal Act, for the existing expression "a sumptuary allowance of eighty thousand rupees per mensem to the Government Chief Whip and a sumptuary allowance of seventy thousand rupees per mensem to the Deputy Government Chief Whip", the expression "to the Government Chief Whip and Deputy Government Chief Whip, a sumptuary allowance of eighty thousand rupees per mensem" shall be substituted.
- **4.** Amendment of section 8-B, Rajasthan Act No. 6 of 1957.- In section 8-B of the principal Act,-
 - (i) after the existing sub-section (1) and before the existing sub-section (2), the following new sub-section shall be inserted, namely:-
 - "(1A) A member shall be entitled to receive, from out of the amount available in the relevant year under sub-section (1), reimbursement of amount equivalent to actual fare of journey abroad by air, ship or steamer paid by him, either alone or with persons accompanying him after approval of his request for such journey being accorded by the Speaker of the Legislative Assembly. Such journey shall be subject to compliance of guidelines issued and/or rules made relating to permission of such journey abroad, by the Government of India and State Government, from time to time."; and
 - (ii) in sub-section (3), for the existing punctuation mark ":" appearing at the end, the punctuation mark "." shall be substituted and after the sub-section (3) so amended and before the existing proviso, the following new sub-sections shall be inserted, namely:-
 - "(4) A member entitled to receive travelling allowance under section 8

shall be entitled to receive reimbursement of amount equivalent to actual fare of any journey abroad undertaken by him by air, ship or steamer paid by him, either alone or with persons accompanying him, for study-tour of the Committee with the prior approval of the Speaker of the Legislative Assembly on surrendering such part of the facility provided by sub-section (1). Such journey shall be subject to compliance of guidelines issued and/or rules made relating to permission of such journey abroad, by the Government of India and State Government, from time to time.

- (5) Where a member entitled to receive travelling allowance under section 8, chooses to travel on his own will, for study-tour of the Committee, either alone or with persons accompanying him within the territory of India in any class of air, ship or steamer, he shall be entitled to surrender such part of the facility provided by sub-section (1) as is equivalent to the air, ship or steamer fare actually paid by him and receive the cash equivalent of the facility so surrendered.
- (6) Where a member entitled to receive travelling allowance under section 8 chooses to travel with the prior approval of Speaker, for study-tour of the Committee, either alone or with persons accompanying him within the territory of India in any class of air, ship or steamer, he shall be entitled to surrender such part of the facility provided by sub-section (1) as is equivalent to the difference between the air, ship or steamer fare actually paid by him and the railway fare to which he is entitled under that section and receive the cash equivalent of the facility so surrendered.
- (7) Where a member entitled to receive travelling allowance under section 8 chooses to travel, with the prior approval of Speaker, for study-tour of the Committee, either alone or with persons accompanying him, such places which are not connected to road or rail within the territory of India in any class of air, ship or steamer, he shall be entitled to surrender such part of the facility provided by sub-section (1) as is equivalent to air, ship or steamer fare actually paid by him and receive the cash equivalent to the facility so surrendered:".

विनोद कुमार भारवानी, Principal Secretary to the Government.

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग
(गुप-2)
अधिसूचना
जयपुर, 23 सितम्बर, 2020

संख्या प.2(20)विधि/2/2020.- राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में "दी राजस्थान लेजिस्लेटिव एसेम्बली (ऑफिसर्स एण्ड मेम्बर्स इमोल्यूमेंट्स एण्ड पेंशन) (अमेण्डमेन्ट) एक्ट, 2020 (एक्ट नं. 25 ऑफ 2020)" का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्दुवारा प्रकाशित किया जाता है:-

(प्राधिकृत हिन्दी अन्वाद)

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का अधिनियम संख्यांक 25)

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 22 सितम्बर, 2020 को प्राप्त हुई)

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1956 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित बनाता है:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2020 है।
 - (2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।
- 2. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 6 की धारा 4-ग का संशोधन.- राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलिब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1956 (1957 का अधिनियम सं. 6), जिसे इस अधिनियम में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 4-ग की उप-धारा (1) में,-
 - (i) विद्यमान अभिव्यक्ति "1 अप्रेल, 2017" के स्थान पर अभिव्यक्ति "1 अप्रेल, 2019" प्रतिस्थापित की जायेगी;
 - (ii) विद्यमान अभिव्यक्ति "बारह हजार पांच सौ रुपये या ऐसे सदस्य द्वारा अंतिम आहरित पेंशन के पचास प्रतिशत के बराबर, जो भी अधिक हो," के स्थान पर अभिव्यक्ति "सत्रह हजार पांच सौ रुपये या ऐसे सदस्य द्वारा अंतिम आहरित पेंशन के पचास प्रतिशत के बराबर, जो भी अधिक हो," प्रतिस्थापित की जायेगी; और
 - (iii) परन्तुक में,-
 - (क) खण्ड (ii) के अंत में आया विद्यमान शब्द "और" हटाया जायेगा; और
 - (ख) खण्ड (iii) के अंत में आये विद्यमान विराम चिहन "।" के स्थान पर अभिव्यक्ति "; और" प्रतिस्थापित की जायेगी और इस प्रकार संशोधित खण्ड (iii) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड जोड़ा जायेगा, अर्थात:-
 - "(iv) किसी मृतक भूतपूर्व सदस्य के पित या पत्नी को कौटुम्बिक पेंशन की किसी भी बकाया की समूची रकम संदत्त की जायेगी और जहां किसी मृतक भूतपूर्व सदस्य का पित या पत्नी जीवित नहीं है, वहां ऐसी पेंशन की बकाया की रकम मृतक भूतपूर्व सदस्य के कुटुम्ब के सदस्यों को बराबर भागों में संदत्त की जायेगी।

स्पष्टीकरण.- अभिव्यक्ति 'कुटुम्ब' से मृतक भूतपूर्व सदस्य के पुत्र और अविवाहित पुत्रियां और ऐसे माता-पिता अभिप्रेत हैं जो उसकी मृत्यु के समय पूर्णतः या मुख्यतः उस पर आश्रित थे।"।

- 3. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 6 की धारा 5 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2) में विद्यमान अभिव्यक्ति "सरकारी मुख्य सचेतक को अस्सी हजार रुपये प्रतिमास सत्कार भत्ता और सरकारी उप मुख्य सचेतक को सत्तर हजार रुपये प्रतिमास सत्कार भत्ता" के स्थान पर अभिव्यक्ति "सरकारी मुख्य सचेतक और सरकारी उप मुख्य सचेतक को अस्सी हजार रुपये प्रतिमास सत्कार भत्ता" प्रतिस्थापित की जायेगी।
 - 4. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 6 की धारा 8-ख का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 8-ख में,-
 - (i) विद्यमान उप-धारा (1) के पश्चात् और विद्यमान उप-धारा (2) से पूर्व, निम्नलिखित नयी उप-धारा अंत:स्थापित की जायेगी, अर्थात:-
 - "(1क) कोई सदस्य, विदेश यात्रा के लिए उसके अनुरोध पर विधान सभा अध्यक्ष के अनुमोदन के पश्चात्, या तो अकेले या उसके साथ जाने वाले किन्हीं व्यक्तियों सहित, उसके द्वारा संदत्त वायुयान, पोत या स्टीमर के वास्तविक किराये के बराबर रकम का पुनर्भरण, उपधारा (1) के अधीन सुसंगत वर्ष में उपलब्ध रकम में से प्राप्त करने का हकदार होगा। ऐसी यात्रा भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा ऐसी विदेश यात्रा की अनुज्ञा के संबंध में समय-समय पर जारी किये गये मार्गदर्शक सिद्धांतों और/या बनाये गये नियमों के अनुपालन के अध्यधीन होगी।"; और
 - (ii) उप-धारा (3) में, अंत में आये विद्यमान विराम चिहन ":" के स्थान पर, विराम चिहन "।" प्रतिस्थापित किया जायेगा और इस प्रकार संशोधित उप-धारा (3) के पश्चात् और विद्यमान परन्तुक से पूर्व, निम्नलिखित नयी उप-धाराएं अंत:स्थापित की जायेंगी, अर्थात्:-
 - "(4) धारा 8 के अधीन यात्रा भत्ता प्राप्त करने का हकदार कोई सदस्य, विधान सभा अध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से समिति के अध्ययन दौरे के लिए, या तो अकेले या उसके साथ जाने वाले किन्हीं व्यक्तियों सहित, हवाई जहाज, पोत या स्टीमर द्वारा विदेश यात्रा के उसके द्वारा संदत्त वास्तविक किराये के बराबर रकम का पुनर्भरण, उप-धारा (1) द्वारा दी गयी सुविधा के ऐसे भाग का अभ्यर्पण करने पर, प्राप्त करने का हकदार होगा। ऐसी यात्रा भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा ऐसी विदेश यात्रा की अनुजा के संबंध में समय-समय पर जारी किये गये मार्गदर्शक सिद्धांतों और/या बनाये गये नियमों के अन्पालन के अध्यधीन होगी।
 - (5) जहां धारा 8 के अधीन यात्रा भत्ता प्राप्त करने का हकदार कोई सदस्य, सिमिति के अध्ययन दौरे के लिए, स्वयं की इच्छा पर, या तो अकेले या उसके साथ जाने वाले किन्हीं व्यक्तियों सिहत, हवाई जहाज, पोत या स्टीमर में किसी भी श्रेणी में भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर यात्रा करना चाहे तो वह उप-धारा (1) द्वारा दी गयी स्विधा के ऐसे भाग का, जो कि हवाई जहाज,

पोत या स्टीमर के उसके द्वारा वास्तव में संदत्त किराये के बराबर है, अभ्यर्पण करने का, और इस प्रकार अभ्यर्पित की गयी सुविधा के बराबर नकद प्राप्त करने का, हकदार होगा।

- (6) जहां धारा 8 के अधीन यात्रा भत्ता प्राप्त करने का हकदार कोई सदस्य, अध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से, समिति के अध्ययन दौरे के लिए, या तो अकेले या उसके साथ जाने वाले किन्हीं व्यक्तियों सिहत, हवाई जहाज, पोत या स्टीमर में किसी भी श्रेणी में भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर यात्रा करना चाहे तो वह उप-धारा (1) द्वारा दी गयी सुविधा के ऐसे भाग का, जो कि हवाई जहाज, पोत या स्टीमर के उसके द्वारा वास्तव में संदत्त किराये और उस रेल किराये के, जिसका कि वह उस धारा के अधीन हकदार है, अन्तर के बराबर है, अभ्यर्पण करने का, और इस प्रकार अभ्यर्पित की गयी सुविधा के बराबर नकद प्राप्त करने का, हकदार होगा।
- (7) जहां धारा 8 के अधीन यात्रा भत्ता प्राप्त करने का हकदार कोई सदस्य, अध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से, समिति के अध्ययन दौरे के लिए, या तो अकेले या उसके साथ जाने वाले किन्हीं व्यक्तियों सहित, हवाई जहाज, पोत या स्टीमर में किसी भी श्रेणी में भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर ऐसे स्थानों, जो सड़क या रेल से जुड़े हुए नहीं हैं, की यात्रा करना चाहे तो वह उप-धारा (1) द्वारा दी गयी सुविधा के ऐसे भाग का, जो कि हवाई जहाज, पोत या स्टीमर के उसके द्वारा वास्तव में संदत्त किराये के बराबर है, अभ्यर्पण करने का, और इस प्रकार अभ्यर्पित की गयी सुविधा के बराबर नकद प्राप्त करने का, हकदार होगा:"।

विनोद कुमार भारवानी, प्रमुख शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।